न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– उमर दीन खान
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 184/2021

शिशुपाल सिंह पुत्र शिवचन्द, जाति जाट, निवासी बडापाना तन भोडकी, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनूं।

–– आवेदक

बनाम

1. श्री रामसिंह राजावत, आर0ए0एस0 हाल उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनू।
2. सहीराम पुत्र पोकर जाति जाट, निवासी ढाणी महला की तन भौडकी, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनूं।
3. अमरचन्द पुत्र पोकर जाति जाट, निवासी ढाणी महला की तन भौडकी, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनूं।
4. गुलाबी पत्नि पोकर जाति जाट, निवासी ढाणी महला की तन भौडकी, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनूं।
5. तहसीलदार, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनूं।

–– अनावेदक

———

प्रार्थना पत्र मुन्तकिली अन्तर्गत धारा 235, आर0टी0 एक्ट 1955 दावा सं0 173/17 उनवानी सहीराम वगैरह बनाम शिशुपाल वगैरह बदालत उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी तारीख पेशी दिनांक 06.09.2021

———

उपस्थितः–

1. श्री विजयपाल, अभिभाषक – आवेदक की ओर से।
2. श्री बाबूलाल सैनी, अभिभाषक – अनावेदक संख्या 2 लगायत 3 की ओर से।
3. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक – अनावेदक संख्या 1 व 5 की ओर से।

आदेश

दिनांक 22.12.2021

उक्त विषयक प्रार्थना पत्र आवेदक ने विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी उदयपरुवाटी के बाबत किये जाने स्थानान्तरण मुकदमा संख्या 173/2017 उनवानी सहीराम वगैरह बनाम शिशुपाल वगैरहबाबत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा जो कि उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी मे लम्बित है जिनमे आगामी तारीख पेशी दिनांक 06.09.2021 नियत है। विपक्षी संख्या 1 वर्तमान मे उक्त अदालत मातहत के पीठासीन अधिकारी है। विपक्षी संख्या 2 से 4 अदालत मातहत के यहां वादीगण तथा आवेदक तथा विपक्षी संख्या 5 बतौर प्रतिवादीगण पक्षकार है। उक्त दावा मे तारीख

पेशी दिनांक 27.09.2021 नियत की गईथी। दिनांक 31.08.2021 को सुबह विपक्षी सहीराम ने आवेदक को गांव मे यह कहा कि स्थानीय विधायक के मार्फत उसकी विपक्षी संख्या 1 से उनके हक मे निर्णय करवाने की बात हो गई है और यह कहा कि उन्होने प्रकरण मे सुनवाई के लिए नियत पेशी मे परिवर्तन करवा लिया है और विपक्षी संख्या 1 उनके पक्ष मे निर्णय कर देंगें। विपक्षी सहीराम की उपरोक्त बाते सुनकर दिनांक 31.08.2021 को ही प्रार्थी अदालत मातहत मे गया और अपने वकील से इस बाबत बात बताई तो वकील साहब ने संबंधित लिपिक से जानकारी की तो आवेदक को यह पता चला कि आवेदक व उसके अधिवक्ता को बिना सुने एवं एकपक्षीय रूप से विपक्षी संख्या 1 ने प्रकरण मे नियत पेशी से पहले ही तारीख पेशी 24.08.2021 नियत कर दी और 24.08.2021 को तथाकथित शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया और तारीख पेशी 26.08.2021 तय कर दी तथा दिनांक 26.08.2021 को गलत रूप से आवेदक की वकील की उपस्थिति दर्ज कर तारीख पेशी 06.09.2021 तय कर दी। प्रकरण प्रार्थना पत्र आदेश 26 नियम 10 जा0दी0 के जबाब मे लम्बित था। उक्त कार्यवाही को आदेशिका पर नही लिया गया। तारीख पेशियों मे कांट–छांट की गई। दिनांक 31.08.2021 को आवेदक अदालत मातहत परिसर मे मौजूद था उसी वक्त विपक्षी सहीराम को आवेदक ने विपक्षी संख्या 1 के राजकीय आवास जो अदालत परिसर मे है उसमे से निकलता हुआ देखा और विपक्षी के साथ एक अजनबी व्यक्ति और था जो दोनो हंसते हुए आ रहे था। विपक्षी सहीराम व दूसरा एक अजनबी व्यक्ति पीठासीन अधिकारी के सरकारी आवास से निकलकर पीठासीन अधिकारी के चैम्बर मे गये और वहां काफी देर तक बैठे रहे। दिनांक 31.08.2021 को ही अदालत मातहत के परिसर मे विपक्षी सहीराम ने आवेदक को कहा कि मेरे साथ जो व्यक्ति था वह स्थानीय विधायक का पी0ए0 है और यह कहा कि दिनांक 06.09.2021 को दावा का फैसला विपक्षी संख्या 2 से 4 के हक मे हो जायेगा। इससे आवेदक को पूर्णतया विश्वास हो गया कि विपक्षी संख्या 2 से 4 का विपक्षी संख्या 1 से प्रकरण के संबंध मे सम्पर्क है। पत्रावली पर विपक्षी संख्या 1 ने शीघ्र सुनवाई के प्रार्थना पत्र पर जो आदेश पारित किया है और प्रकरण मे कांट–छांट कर आवेदक व उसके अधिवक्ता को बिना सुने प्रकरण को नियत पेशी से पहले सुनवाई पर लिया गया है इस व्यवहार से भी आवेदक को पूर्णतया विश्वास हो गया कि विपक्षी संख्या 2 से 4 के प्रभाव मे है। विपक्षीगण ने प्रकरण के आवेदक को बिना सुनवाई का अवसर दिये शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र स्वीकार करना व 16.08.2019 क आदेशिका पर दर्ज कार्यवाही को बाद की आदेशिकाओं से हटाना और दिनांक 13.01.2021 को प्रस्तुत शीघ्र सुनवाई के प्रार्थना पत्र को अचानक दिनांक 24.08.2021 को स्वीकार करना इस बात की ताईद करता है कि विपक्षी संख्या 1 ने न्यायालय की गरिमा को कायम रखते हुए व पद की गरिमा को कायम रखते हुए कार्यवाही नही कर रहे है और आवेदक को पूर्णतया यह विश्वास हो गया है कि विपक्षी संख्या 1 प्रकरण मे न्याय नही करेंगें तथा पद का दुरूपयोग कर विपक्षी संख्या 2 से 4 के हक मे निर्णय करेंगें। ऐसी सूरत मे प्रकरण को झुंझुनूं जिले के क्षेत्र मे मौजूद किसी सक्षम न्यायालय मे सुनवाई हेतु स्थानान्तरित किया जाना उचित व आवश्ययक है। अतः दरख्वास्त मय शपक्ष पत्र पेश कर निवेदन है कि आवेदक का आवेदन पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी की अदालत मे लम्बित दावा उनवानी सहीराम वगैरह बनाम शिशुपाल आदि दावा संख्या 173/17 तारीख पेशी 06.09.2021 को सुनवाई के लिए झुंझुनूं जिले मे स्थित अन्य सक्षम न्यायालय मे स्थानान्तरित किये जाने के आदेश दिया जावे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी से वस्तुस्थिति का तथ्यात्मक प्रतिवेदन मंगवाया गया तथा अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। उपखण्ड अधिकारी

उदयपुरवाटी ने पत्रांक 991 दिनांक 26.11.2021 द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत कर अवगत कराया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मे दावा सहीराम वगैरह बनाम शिशुपाल वगैरह बाबत घोषणार्थ, स्थाई निषेधाज्ञा मे आगामी तारीख 26.11.2021 नियत है। वाद मे 27.09.2021 तारीख नियत की गई थी। प्रार्थी सहीराम पुत्र पोकर ने न्यायालय मे दिनांक 13.07.2021 को प्रार्थना पत्र शीघ्र सुनवाई का पेश किया था। न्यायालय ने शीघ्र सुनवाई प्रार्थना पत्र स्वीकार कर 24.08.2021 को पत्रावली को तलब किया। बिन्दू सं0 2 मे पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये कांट–छांट तथा विपक्षी से मिलने के आरोप निराधार है। प्रार्थना पत्र शीघ्र सुनवाई न्यायालय मे प्रस्तुत होने पर विधिवत् सुनवाई व उभय पक्षकारान् को सुनते हुए स्वीकार किया गया। प्रार्थी द्वारा न्यायालय पर लगाये गये आरोप निराधार है। यदि प्रार्थी अपनी पत्रावली सक्षम न्यायालय मे स्थानान्तरित करवाना चाहता है तो इस न्यायालय को कोई आपत्ति नही है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी अभिभाषक ने दौरान बहस प्रार्थना में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया आवेदक व उसके अधिवक्ता को बिना सुने एवं एकपक्षीय रूप से विपक्षी संख्या 1 ने प्रकरण मे नियत पेशी से पहले ही तारीख पेशी 24.08.2021 नियत कर दी और 24.08.2021 को तथाकथित शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया और तारीख पेशी 26.08.2021 तय कर दी तथा दिनांक 26.08.2021 को गलत रूप से आवेदक की वकील की उपस्थिति दर्ज कर तारीख पेशी 06.09.2021 तय कर दी। प्रकरण प्रार्थना पत्र आदेश 26 नियम 10 जा0दी0 के जबाब मे लम्बित था। उक्त कार्यवाही को आदेशिका पर नही लिया गया। तारीख पेशियों मे कांट–छांट की गई। विपक्षीगण ने प्रकरण के आवेदक को बिना सुनवाई का अवसर दिये शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र स्वीकार करना व 16.08.2019 क आदेशिका पर दर्ज कार्यवाही को बाद की आदेशिकाओं से हटाना और दिनांक 13.01.2021 को प्रस्तुत शीघ्र सुनवाई के प्रार्थना पत्र को अचानक दिनांक 24.08.2021 को स्वीकार करना इस बात की ताईद करता है कि विपक्षी संख्या 1 ने न्यायालय की गरिमा को कायम रखते हुए व पद की गरिमा को कायम रखते हुए कार्यवाही नही कर रहे है और आवेदक को पूर्णतया यह विश्वास हो गया है कि विपक्षी संख्या 1 प्रकरण मे न्याय नही करेंगें तथा पद का दुरूपयोग कर विपक्षी संख्या 2 से 4 के हक मे निर्णय करेंगें। अतः आवेदक का आवेदन पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी की अदालत मे लम्बित दावा उनवानी सहीराम वगैरह बनाम शिशुपाल आदि दावा संख्या 173/17 तारीख पेशी 06.09.2021 को सुनवाई के लिए झुंझुनूं जिले मे स्थित अन्य सक्षम न्यायालय मे स्थानान्तरित किये जाने के आदेश दिया जावे।

वकील अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 ने वकील आवेदक के कथनों का विरोध कर तर्क प्रस्तुत किया कि अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा वर्णित प्रकरणों मे नियमानुसार सुनवाई की जा रही है। अनावेदक सं0 1 लगायत 4 पर लगाये गये आरोप मिथ्या व निराधार है। अतः आवेदक का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान वकील प्रार्थी के कथनों का विरोध किया तथा तर्क प्रस्तुत किया कि प्रार्थी द्वारा निराधार तथ्यों पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अदालत मातहत द्वारा प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। फिर भी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय मे सुनवाई हेतु स्थानान्तरित किया जाता है तो उन्हे कोई आपत्ति नही है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन का भी अवलोकन किया जिसके अनुसार प्रकरण अन्यत्र स्थानान्तरित करने में कोई आपति नही होना बताया है। प्रार्थी द्वारा उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी के न्यायालय से प्रकरण संख्या 123/2017 उनवानी सहीराम आदि बनाम शिशुपाल आदि को स्थानान्तरण करवाने हेतु आधार तर्क यह प्रस्तुत किया है कि उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा प्रकरण मे नियत पेशी दिनांक 27.09.2021 से पहले ही तारीख पेशी 24.08.2021 नियत कर दी तथा शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया और तारीख पेशी 26.08.2021 तय कर आवेदक की वकील की उपस्थिति दर्ज कर तारीख पेशी 06.09.2021 तय कर दी। वाद की आदेशिकाओं के अवलोकन से साफ है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा वाद में तारीख पेशी शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर पत्रावली 24.08.2021 में ली गई थी तथा आगामी पेशी 26.08.2021 नियत की गई थी। शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र पक्षकारों द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकता है, जो सुनवाई का एक भाग है।

यद्यपि प्रार्थी द्वारा अपने अन्य तर्को के संबंध में कोई साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है। परन्तु न्यायालय की दृष्टि में पक्षकारों को उचित न्याय मिले व न्याय होता हुआ भी प्रतीत हो उनके मन में पीठासीन अधिकारी के प्रति कोई शंका न हो तथा उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी को भी मुकदमा स्थानान्तरण पर कोई आपत्ति नहीं है । उक्त तथ्यों को ध्यान मे रखते हुए हम प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मुन्तकिली स्वीकार किया जाकर मुकदमा 123/2017 उनवानी सहीराम आदि बनाम शिशुपाल आदि को उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी के न्यायालय से उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी के न्यायालय में स्थानानतरित किये जाने का आदेश दिया जाता है। उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी कानूनी प्रक्रिया अनुसार प्रकरण का निस्तारण करें।

निर्णय की प्रति दोनों न्यायालय को प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर् हो।

आदेश आज दिनांक 22.12.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उमर दीन खान) 22/12/21
जिला कलक्टर, झुंझुनू